यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

-पत्र संख्या :–42/2015 दायर दिनांक: 15.04.2015

CMS NO:- 2015/00161

ठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. श्री छोटूलाल वर्मा आईएलआर हाल तह0 बून्दी।
2. श्री महावीर प्रसाद शर्मा पटवारी हाल मानपुरा तह0 नैनवां।
3. श्री शिवजीलाल आ0 रामकुंवार बलाई निवासी नैनवां।
4. नगरपालिका नैनवां।

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री सूर्य कुमार जैन, श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया आदि।

निर्णय दिनांक 18.08.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम में भूमि खसरा संख्या 5948/4455 रकबा 7–02 एवं 0–18 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 23.11.75 को आंवटी नवल कुमार आ0 बजरंगलाल कोली निवासी नैनवां को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 5948/4455 रकबा 7–02 बीघा एवं ख0सं0 6374/4455 रकबा 0–18 बीघा भूमि की तरमीम दिनांक 08.03.2007 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आईएलआर एवं पटवारी द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम की भूमि खसरा सं. 4456 रकबा 2–00 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि खसरा संख्या 6374/4455 रकबा 18 बिस्वा भूमि नगरपालिका नैनवा को नियमानुसार आवंटित हुई थी। जिसे नियमानुसार दिनांक 08.03.2007 को आईएलआर एवं पटवारी ने मौका स्थिति एवं कब्जे के अनुसार सही तरमीम किया था जो पूर्णतया विधि सम्मत् है। यह कि नगरपालिका स्वयं एक सरकारी स्वायत्तशासी संस्थान है। धारा 304 के विधिक नोटिस के अभाव में वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया कि तरमीम आवंटन ओदशो के विपरीत नहीं की गई है। जहां पर आंवटी को कब्जा दिया गया था और जिस स्थान पर वह काबिज था तथा उसके पश्चात केता प्रतिवादी शिवजीलाल काबिज था उसी स्थान पर की गई थी जो पूर्ण रूप से

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं (बून्दी)

अनुसार व विधिवत थी। सडक आंवटन के पश्चात् बनी हैं इसलिए इसमें आवंटी व क्रेता वर्तमान कब्जेदार का कोई दोष नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र, जवाब वाद पत्र एवं बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकार्ड साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसके अनुसार यह पाया गया कि उक्त विवादित भूमि खसरा सं0 5948/4455 रकबा 7–02 बीघा एवं ख0सं0 6374/4455 रकबा 0–18 बीघा भूमि वाके कस्बा नैनवां आवंटन सलाहकार समिति मु. नैनवां द्वारा दिनांक 23.11.1975 को नवल कुमार आ0 बजरंगलाल कोली निवासी नैनवां को नियमानुसार आवंटित हुई थी। इसके बाद जर्ये पंजीकृत विकय पत्र से विधिवत खरीद कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज रहकर प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नही की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश/नियमन आदेश, तरमीम आदेश, सुपुर्दगीनामापेश आदि पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ